<u>समाचार</u>

मास्क न पहनने पर लगा 8500 रूपये अर्थदण्ड

कोरबा 18 मार्च 2021 –कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा मास्क के अनिवार्य उपयोग हेतु अभियान चलाते हुए बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलकर सड़कों, सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने वाले व्यक्तियों पर 8500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया तथा कड़ी हिदायत दी कि वे मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले, खुद कोरोना संक्रमण से बचें तथा दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न जोनांतर्गत कार्यवाही करते हुए निगम अमले द्वारा आज 8500 रूपये का अर्थदण्ड मास्क न पहनने वालों पर लगाया गया। कोरबा जोनांतर्गत 800 रूपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 800 रूपये, कोसबाड़ी व रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत 3300 रूपये, बालको जोनांतर्गत 1200 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 400 रूपये, बांकीमोंगरा जोनांतर्गत 1400 रूपये, सर्वमंगला जोनांतर्गत 600 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।